प्रस्ताव

कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद।

पत्रांक 3691 /14–1 दिनॉक, गाजियाबाद 29 जनवरी, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
जोन–5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/39999/2019

विषयः– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे0 एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे0 एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/102/2019/एफ0सी0/1152 दिनांक–13.01.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करत हुये रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति धनराशि जमा होने की पुष्टि) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा शर्त संख्या 4 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जाने वाली गैर वन भूमि का अमलदरामद वन विभाग के पक्ष में 15 दिन के अन्तर्गत कराकर इस कार्यालय को खसरा, खतौनी की प्रति उपलब्ध करायेंगे।

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the User agency. परियोजना में गैर वन भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ही वन भूमि प्रयोग में लायी जा सकती हैं।
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 0.8156 ha. Non forest land Compartment no. 1, patch no. 2 of village Rasulpur Yakutpur Tehsil Sadar, District Ghaziabad at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species Will be planted and monoculture of a species has to be avoided. वन विभाग द्वारा 0.8156 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वनीकरण किया जाएगा। गैर वन भूमि कम्पार्टमेंट नं 1 पैच नं 2 उपयोगकर्ता एजेंसी की कीमत पर ग्राम रसूलपुर याकूतपुर तहसील सदर जिला गाजियाबाद के जहाँ तक व्यावहारिक रूप से स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जाएगा और एक प्रजाति के मोनोकल्चर से बचना होगा हेतु 550200/– मात्र की धनराशि कैम्पा मद में जमा कर ऑनलाइन पुष्टि प्रस्तुत करें।
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department. गैर–वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे स्थानांतरित और उत्परिवर्तित कर खसरा खतौनी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति की लागत और वह लागत का सर्वेक्षण, सीमाकन और स्थायी खंभों के निर्माण की लागत यदि सीए भूमि पर आवश्यक हो तो परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जाएगा। सीए को 10 साल तक बनाए रखा जाएगा। योजना वृक्षारोपण के लिए होगी और इसमें बाद के वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल हो सकते हैं। तदविषयक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
6. B The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.8156 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003 28/03/2008. 24/04/2008 and 09/05/2003 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003. as well as letter No.5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. राज्य सरकार 0.8156 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का शुल्क लेगी। भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार यूजर एजेंसी के इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र का दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 और 09/05/2003 में IA नंबर 566 में WP (C) नंबर 202/1995 और मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पत्र संख्या 5–1 / 1998–FC (Pt&II) दिनांक 18/09/2003A इस संबंध में पत्र संख्या 5–2/2006–एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3/2007–एफसी दिनांक 05/02/2009A के अनुसार जनपद गाजियाबाद मे प्रयुक्त होने वाली वन भूमि 0.144 हे0 हेतु 887000 प्रति हे0 की दर से रू0 127728/-- मात्र की धनराशि जमा कर चालान एवं पुष्टि इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of india on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the

State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

8. User agency shall restrict the felling of tress to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strier Supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
9. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, if applicable. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
10. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
11. No labour camp shall be established on the forest land. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
12. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest, Department or the forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
14. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the Concerned District Collector. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
15. Speed regulating signage will be crected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
16. The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/ FAC/REC. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the User agency or the project life, whichever is less. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
21. DFO should submit a certificate. certifying that no work has been executed in violation of Forest (Conservation) Act. 1980 in the said proposal. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
22. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
24. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https;//parivesh.nic.in). सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
25. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https;//parivesh.nic.in). सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

29/01/2021

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजियाबाद।

पांत्रक /14–1 दिनॉक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजियाबाद।

प्रस्ताव – 02

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक 2440 / 14–1 दिनॉक, हापुड़ 29 जनवरी, 2021

अधिशासी अभियंता,
जोन- 5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/39999/2019

विषयः– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे0 एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे0 एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 102 / 2019 / एफ0सी0 / 1152 दिनांक–13.01.2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करत हुये रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति धनराशि जमा होने की पुष्टि) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा शर्त संख्या 4 के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जाने वाली गैर वन भूमि का अमलदरामद वन विभाग के पक्ष में 15 दिन के अन्तर्गत कराकर इस कार्यालय को खसरा, खतौनी की प्रति उपलब्ध करायें।

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the User agency. परियोजना में गैर वन भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ही वन भूमि प्रयोग में लायी जा सकती हैं।
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 0.8156 ha. Non forest land Compartment no. 1, patch no. 2 of village Rasulpur Yakutpur Tehsil Sadar, District Ghaziabad at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species Will be planted and monoculture of a species has to be avoided. वन विभाग द्वारा 0.8156 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वनीकरण किया जाएगा। गैर वन भूमि कम्पार्टमेंट नं 1 ए पैच नं 2 उपयोगकर्ता एजेंसी की कीमत पर ग्राम रसूलपुर याकूतपुर तहसील सदर जिला गाजियाबाद के जहाँ तक व्यावहारिक रूप से स्थानीय स्वदेशी प्रजातियो का मिश्रण लगाया जाएगा और एक प्रजाति के मोनोकल्चर से बचना होगा सम्बन्धित धनराशि जनपद गाजियाबाद से जमा करायी जायेगी।
4. The non-forest land has to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department. गैर–वन भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और उत्परिवर्तित कर खसरा खतौनी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years. प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति की लागत और दह लागत का सर्वेक्षण, सीमांकन और स्थायी स्तंभों के निर्माण की लागत यदि सीए भूमि पर आवश्यक हो तो परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जाएगा। सीए को 10 साल तक बनाए रखा जाएगा। योजना वृक्षारोपण के लिए होगी और इसके बाद के वर्षो के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल हो सकते है। सम्बन्धि प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
6. A The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.8156 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2003 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003. as well as letter No.5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. राज्य सरकार 0.8156 हेक्टेयर के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का शुल्क लेगी। भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार यूजर एजेंसी के इस प्रस्ताव के तहत वन क्षेत्र को दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 और 09/05/2003 में IA नंबर 566 में WP (C) नंबर 202/1995 और मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पत्र संख्या 5–1 / 1998–FC (Pt&II) दिनांक 18/09 /A 2003A इस संबंध में पत्र संख्या 5–2/2006–एफसी दिनांक 03/10/2006 और 5-3 / 2007–एफसी दिनांक 05/02/2009A के अनुसार जनपद हापुड़ मे प्रयुक्त हाने वाली वन भूमि 0.6716 हे0 हेतु 887000 प्रति हे0 की दर से रू0 595709 / – मात्र की धनराशि जमा कर चालान एवं पुष्टि इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of india on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

9. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, if applicable. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
10. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
11. No labour camp shall be established on the forest land. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
12. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest, Department or the forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
14. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the Concerned District Collector. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
15. Speed regulating signage will be crected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
16. The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/ FAC/REC. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the User agency or the project life, whichever is less. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
21. DFO should submit a certificate. certifying that no work has been executed in violation of Forest (Conservation) Act. 1980 in the said proposal. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
22. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
24. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in). सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
25. The compliance report shall be uploaded on e-portet (https://parivesh.nic.in). सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

29/01/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पांत्रक /14–1 दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।